सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 03 फाल्गुन, 1942 (श०)
22 फरवरी, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 04

(1)	उद्योग विभाग	01
(2)	गन्ना उद्योग विभाग	01
(3)	वित्त विभाग	01
(4)	गृह विभाग	01
	कुल योग --	04

घटनाओं में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को रोकना

1. श्री ललित कुमार यादव--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 दिसम्बर, 2020 को प्रकाशित शीर्षक "अपहरण में 20 प्रतिशत तो फिरौती के लिये अपहरण में 125 प्रतिशत का इजाफा" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में केवल विगत माह अक्टूबर, 2020 में अपहरण की 765 घटनाएँ घटित होकर 19.8 प्रतिशत की वृद्धि तथा केवल विगत 9 माह में फिरौती के लिये अपहरण में औसतन 2.22 प्रतिशत की दर से इजाफा के साथ अपहरण के लिये फिरौती में 125 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त घटनाओं में हो रही अप्रत्याशित बढ़ोतरी को रोकने के लिए कौन-सा उपाय करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जिला मुख्यालयों में चयन की प्रक्रिया

2. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में मुख्यमंत्री एस0 सी0/एस0 टी0 उद्यमी योजना के तहत एस0 सी0/एस0 टी0 वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिये अधिकतम रु0 10,00,000 (दस लाख) तक का ऋण दिया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मद में काफी कम बजट होने के कारण राज्य के 1 प्रतिशत (एक प्रतिशत) से कम आवेदकों को ऋण प्राप्त हो पाता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि आवेदकों के चयन की प्रक्रिया केवल राज्य मुख्यालय में होने के कारण गरीब आवेदक आर्थिक कठिनाई के कारण चयन प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त योजना मद की राशि में आवश्यकतानुसार बजट का प्रावधान करते हुये चयन की प्रक्रिया जिला मुख्यालयों में कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

3. श्री सुधाकर सिंह--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार ईख आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियम अधिनियम, 1981 की धारा 43(2) एवं 43(3) के तहत किसानों से क्रय की गई गन्ना का भुगतान 14 दिनों के अन्दर चीनी मिलों द्वारा किये जाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2019-20 में चीनी मिलों द्वारा किसानों की बकाया राशि यथा बगहा चीनी मिल 51.84 लाख रुपया, नरकटिया चीनी मिल 8.60 लाख रुपये, मझवलिया चीनी मिल 4061.09 रुपये, सासामुसा चीनी मिल 762.50 लाख रुपये, सिघवलिया चीनी मिल 64.65 लाख रुपये, रीगा चीनी मिल 3175.07 लाख रुपये, हसनपुर चीनी मिल 4.73 लाख रुपये, लौरिया चीनी मिल 2.24 लाख रुपये, सुगौली चीनी मिल 10.95 लाख रुपये, प्रतापपुर चीनी मिल 281.00 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त चीनी मिलों से किसानों की बकाया राशि का भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधिकारियों की जाँच कराना

4. श्री ललित कुमार यादव--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 9 जनवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक ''विभागों ने नहीं दिया 85 हजार करोड़ का हिसाब'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के पंचायती राज, समाज कल्याण, ऊर्जा विभाग सहित 9 विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं जमा कर राज्य कोष के 85 हजार करोड़ रुपये का लेखा-जोखा अभीतक नहीं दिया गया है, जिसमें 25 हजार करोड़ से अधिक राशि पंचायती राज विभाग की है, यदि हाँ, तो सरकार उन 9 विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र का हिसाब देने में देर करने वाले संबंधित अधिकारियों की जाँच कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । सहायक अनुदान मद में विभागों द्वारा निकासी की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमित रूप से महालेखाकार (ले0 एवं ह0) के कार्यालय में जमा किया जा रहा है । वित्त विभाग द्वारा प्रधान सचिव की अध्यक्षता में प्रतिमाह बैठक का आयोजन कर एतद्संबंधी अनुश्रवण करते हुये विभागों को उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिया जाता है । बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 271(e) में निहित प्रावधान के अनुसार सहायक अनुदान मद में राशि की निकासी के पश्चात् 18 महीने के अंदर उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को समर्पित किया जाना है ।

पटना :
दिनांक 22 फरवरी, 2021 (ई0) ।

राज कुमार सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 97(एल0ए0), 2020-21-डी0टी0पी0-550